भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/199

विवि.एसीसी.आरईसी.सं.118/21.02.067/2025-26 नवम्बर 28, 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 2

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 2

बी. प्रयोज्यता 2

सी. परिभाषाएं 2

अध्याय II – लाभांश की घोषणा 4

ए. बोर्ड की निगरानी 4

बी. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड 4

सी. देय लाभांश की मात्रा 5

डी. रिपोर्टिंग प्रणाली 7

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान 8

ए. निरसन और बचत 8

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं 8

वापिस लिया गया

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति में आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - लाभांश की घोषणा पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश जारी होने के तत्काल से प्रभावी हो जाएंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश लघु वित्त बैंकों (जिसे आगे से सामूहिक रूप से 'बैंक' और वैयक्तिक रूप से 'बैंक' के रूप में संदर्भित) पर लागू होंगे।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो, यहां दिए गए शब्दों का आशय निम्नानुसार होगा।

वापस लिया गया

(i) 'सीआरएआर' का अर्थ है भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक- पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के संदर्भ में गणना की गई जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) है।

(ii) 'लाभांश' में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है।

(iii) 'लाभांश भुगतान अनुपात' का अर्थ है एक वर्ष में इक्विटी शेयरों (अंतरिम लाभांश सहित) पर देय लाभांश की राशि और वर्ष के दौरान निवल लाभ के मध्य का अनुपात उस वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है।

(iv) 'असाधारण लाभ/आय' का वही अर्थ होगा जो लागू लेखांकन मानकों के तहत परिभाषित किया गया है।

(v) 'निवल अनर्जक आस्तियां(एनएनपीए) अनुपात' का अर्थ है एनएनपीए का निवल अग्रिमों का अनुपात।

5. अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लागू अधिनियमों, उसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत दिया गया है, अथवा किसी भी सांविधिक संशोधन अथवा पुनः अधिनियमन अथवा वाणिज्यिक भाषा में उपयोग किया गया है, जैसा भी मामला हो।

वापिस लिया गया

अध्याय II – लाभांश की घोषणा

ए. बोर्ड की निगरानी

6. सभी हितधारकों के हितों को बैंक का बोर्ड ध्यान में रखेगा और लाभांश घोषित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करेगा:

(i) भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश;

(ii)पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए निरीक्षण के दौरान एनपीए की पहचान में विचलन, प्रावधान में कमी आदि के संबंध में रिज़र्व बैंक के निष्कर्ष;

(iii) लेखे के विवरण से संबंधित लेखापरीक्षकों की योग्यता

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक- पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के तहत उल्लिखित न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकता; और

(v) बैंक की दीर्घकालिक विकास योजनाएं।

7. इक्विटी शेयरों पर लाभांश की घोषणा करते समय, निदेशक मंडल अन्य बातों के साथ-साथ बैंक की वर्तमान और अनुमानित पूंजी स्थिति पर विचार करेगा, जबकि लागू पूंजी आवश्यकताओं, लागू पूंजी बफ़र्स और प्रावधानों की पर्याप्तता पर विचार करेगा, जिसमें आर्थिक वातावरण और लाभप्रदता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जाएगा।

वापस लिया गया

बी. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड

8. बैंक केवल तभी लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा जब वह निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है:

(i) बैंक का सीआरएआर पूर्ववर्ती दो पूर्ण वित्तीय वर्षों और वित्तीय वर्ष के लिए कम से कम नौ प्रतिशत होगा जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है;

(ii) एनएनपीए अनुपात उस वित्तीय वर्ष के लिए सात प्रतिशत से कम होगा जिसके लिए बैंक लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है

(iii) यदि कोई बैंक सीआरएआर मानदंड को पूरा नहीं करता है, जो उपोक्त पैरा 8 (i) में विनिर्दिष्ट है, लेकिन वित्तीय वर्ष के लिए कम से कम नौ प्रतिशत का सीआरएआर है, जिसके लिए वह लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव करता है, तो वह लाभांश घोषित करने के लिए पात्र होगा बशर्ते कि उसका एनएनपीए अनुपात पांच प्रतिशत से कम हो;

(iv) बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 15 और 17 के प्रावधानों का पालन करेगा;

(v) बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रचलित विनियमों / दिशानिर्देशों का पालन करेगा, जिसमें न्यूनतम विनियामकीय पूंजी आवश्यकता,आस्तियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान करना और लाभ को सांविधिक आरक्षित निधियां में अंतरित करना शामिल है;

(vi) प्रस्तावित लाभांश केवल चालू वित्त वर्ष के निवल लाभ से देय होगा; और

(vii) रिज़र्व बैंक को लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर कोई सुनिश्चित प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।

9. यदि कोई बैंक उपरोक्त पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो लाभांश की घोषणा के लिए बैंक को कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी।

सी. देय लाभांश की मात्रा

10. बैंक, जो उपरोक्त पैरा 8 में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, निम्नलिखित के अधीन लाभांश घोषित और भुगतान कर सकता है:

(i) लाभांश भुगतान अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक नहीं और नीचे दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार होगा।

वापिस लिया गया

सारणी: लाभांश भुगतान अनुपात की अधिकतम अनुमेय सीमा के लिए मानदंडों का मैट्रिक्स

श्रेणी	**सीआरएआर**	**एनएनपीए अनुपात**			
		शून्य	**शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम**	**3% से 5% से कम**	**5% से 7 % से कम**
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
ए	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 11% अथवा अधिक	40 तक	35 तक	25 तक	15 तक
बी	पिछले 3 वर्षों में से	35 तक	30 तक	20 तक	10 तक

श्रेणी	सीआरएआर	एनएनपीए अनुपात			
		शून्य	शून्य से अधिक लेकिन 3% से कम	3% से 5% से कम	5% से 7 % से कम
		लाभांश भुगतान अनुपात की सीमा			
	प्रत्येक के लिए 10% अथवा अधिक				
सी	पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के लिए 9% अथवा अधिक	30 तक	25 तक	15 तक	5 तक
डी	चालू वर्ष में 9% अथवा उससे अधिक	10 तक		5 तक	शून्य

लाभांश भुगतान अनुपात निर्धारित करने के लिए स्पष्टीकरण नीचे प्रस्तुत है:

वापिस लिया गया

बैंक	सीआरएआर (%)			एनएनपीए अनुपात (%) [31 मार्च , 20X5 तक]	श्रेणी	अधिकतम लाभांश भुगतान अनुपात (%) जिसके लिए बैंक अर्हता प्राप्त करेगा
	20X4-X5	20X3-X4	20X2-X3			
वी	12	11	11	2.3	ए	35 तक
डब्ल्यू	12	10	11	3.8	बी	20 तक
एक्स	11	9	10	6.2	सी	5 तक
वाई	9	8	10	4.2	डी	5 तक
जेड	12	11	12	0	ए	40 तक

(ii) यदि सुसंगत अवधि के लिए लाभ में कोई अतिरिक्त लाभ/आय शामिल है, तो विवेकपूर्ण भुगतान अनुपात के अनुपालन के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर लाभांश भुगतान अनुपात की गणना की जाएगी।

(iii) जिस वित्तीय वर्ष के लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, उससे संबंधित वित्तीय विवरण सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी अर्हता से मुक्त होंगे, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस आशय की किसी भी अर्हत के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय निवल लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाएगा।

(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) निर्देश, 2025 के अनुसार, कोई भी बैंक लेवल 3 के वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स (डेरिवेटिव्स सहित) के उचित मूल्यांकन से होने वाले नेट अवास्तविक लाभ में से लाभांश का भुगतान नहीं करेगा।

(v) अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने, ऐसे प्रावधान को वापस लेने पर बैंक द्वारा लाभांश का भुगतान, और भारत सरकार की गारंटी वाले लोन और सिक्योरिटी रिसीट्स के स्थानांतरण से होने वाले अवास्तविक लाभ के मामले में सावधानी बरतने से जुड़े नियम भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – क्रेडिट रिस्क का स्थानांतरण और वितरण) निर्देश, 2025 में दिए गए निर्देशों के अनुसार होंगे।

वापस लिया गया

(vi) उच्च लाभांश भुगतान अनुपात के लिए किसी भी आवेदन, जिसके लिए बैंक उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार अर्हता प्राप्त है, रिज़र्व बैंक द्वारा इस पर विचार नहीं किया जाएगा।

डी. रिपोर्टिंग प्रणाली

11. लाभांश की घोषणा करने वाला बैंक लाभांश की घोषणा के एक पखवाड़े के भीतर अनुबंध 1 में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश के विवरण की सूचना विनियमन विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक को देगा।

अध्याय III - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

12. इन निर्देशों के जारी होने के साथ ही, लघु वित्त बैंकों पर लागू होने वाले लाभांश की घोषणा से जुड़े विवेकपूर्ण नियमों के मौजूदा निर्देश और दिशानिर्देश रद्द माने जाएंगे, जैसा कि 28 नवंबर 2025 के परिपत्र विवि. आरआरसी. आरईसी.302/33-01-010/2025-26 में बताया गया है। इन निर्देशों के जारी होने से पहले रद्द किए गए निर्देश और दिशानिर्देश रद्द ही रहेंगे।

13. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए निर्देशों या दिशानिर्देश के तहत की गई या की गई मानी जाने वाली कोई भी कार्रवाई, या शुरू की गई कोई भी कार्रवाई, उन्हीं के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी मंजूरियां या स्वीकृतियां इन निर्देशों के तहत संचालित मानी जाएंगी। साथ ही, इन निर्देशों या दिशानिर्देश को निरस्त करने से किसी भी तरह से इन पर बुरा असर नहीं पड़ेगा:

    (i) उसके तहत हासिल किया गया, बना या लागू हुआ कोई भी अधिकार, दायित्व या ज़िम्मेदारी;

    (ii) उसके तहत किए गए किसी उल्लंघन के लिए लगाया गया कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा;

    (iii) ऊपर बताए गए किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, ज़िम्मेदारी, जुर्माने, ज़ब्ती या सज़ा के संबंध में कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा लगाई जा सकती है, मानो उन निर्देशों या दिशानिर्देश को रद्द न किया गया हो।

वापस लिया गया

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

14. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि अवहेलना।

सी. व्याख्याएँ

15. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, रिज़र्व बैंक, यदि वह आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है

और रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(सुनील टी एस नायर)
मुख्य महाप्रबंधक

वापिस लिया गया

अनुबंध 1- लाभांश घोषित करने वाले बैंक के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट

1 अप्रैल, 20------- से आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण
बैंक का नाम:__

लेखांकन अवधि*	**लेखांकन अवधि के लिए निवल लाभ (₹ करोड़ में)**	**लाभांश की दर (% में)**	**लाभांश की राशि (₹ करोड़ में))**	**लाभांश भुगतान अनुपात (% में)**
1	2	3	4	5

* तिमाही अथवा छमाही अथवा वर्ष समाप्ति-------------- जैसा भी मामला हो।

वापिस लिया गया